

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) सीकर

क्रमांक:—सहायता / 2022 / 2444

दिनांक— 6/5/22

स्वीकृति—आदेश

प्राकृतिक आपदा (आकाशीय बिजली) से हुये नुकसान से पीडित परिवार को सहायता दिलाने हेतु उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार धोद से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सीआरएफ नोम्स के अनुसार पीडित परिवार के लिये स्वीकृत राशि से निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है:—

क्र.सं.	आवेदक का नाम पता	आपदा दिनांक	जनहानि	स्वीकृत राशि
तहसील—धोद				
1	मंगलचंद पुत्र खेमराम जाट नि0 तेतली नगर, मैलासी धोद	12.7.21	मृतक सुशिला पुत्री	400000

(राशि रुपये चार लाख मात्र)

यह राशि लेखा मद 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01—सूखा, 800—अन्य व्यय, 03 राहत कार्यो पर व्यय, (02)—अग्नि सहायता 12—सहायतार्थ अनुदान (पी) से आहरित की जावेगी।



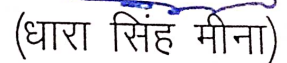
(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक / सहायता / 2022 / 2444

दिनांक:— 6/5/22

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर
2. कोषाधिकारी, सीकर
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट, सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार धोद
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सीकर
6. रक्षित पत्रावली


(धारा सिंह मीना)

अति० जिला कलक्टर, सीकर